बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

।। अधिसूचना।।

संख्या–अ०सं०क०–02–07 / 2023....86../   पटना, दिनांक..29.02.2024

राज्य कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–7566, दिनांक–14.07.2010, पत्रांक–8928, दिनांक–15.11.20217 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–6642, दिनांक–06.07.2021 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय पत्रांक–536, दिनांक–15.02.2024 द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक–15.02.2024 को आयोजित की गयी थी, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार अल्पसंख्यक कल्याण सेवा संवर्ग के निम्नलिखित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों (मूल कोटि) को 10 वर्षो की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने पर रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना–2010 के तहत उनके नाम के सामने स्तम्भ–4 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान पे–बैंड ₹ 67700-208700/- ग्रेड पे०–₹ 6600/- पुनरीक्षित पे० मैट्रिक्स वेतनस्तर–11 में प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	वरीयता क्रमांक (2021 के अनुसार)	नाम	अपुनरीक्षित वेतनमान PB-3+GP-6600, पुनरीक्षित वेतनमान वेतन स्तर–11 में प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ की देय तिथि
1	*2*	*3*	*4*
1.	16	श्री बैद्यनाथ प्रसाद	03.12.2023
2.	21	सुश्री प्रियंका कुमारी	02.12.2023

2. स्क्रीनिंग समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री बैद्यनाथ प्रसाद, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा विभागीय अधिसूचना सं०–218 सहपठित ज्ञापांक–2862, दिनांक–20.10.2023 के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद सहायक निदेशक (कार्यकारी प्रभार, वेतन स्तर–11) का प्रभार दिनांक–21.10.2023 को ग्रहण किया गया है। अतएव उन्हें प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ देय नहीं होगा।

3. यह वित्तीय उत्क्रमण व्यक्तिगत है तथा इसका वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

4. रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के अन्तर्गत उत्क्रमित वेतन स्तर में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के अधिसूचना सं०–7566, दिनांक–14.07.2010 एवं 3590, दिनांक–24.05.2017 के आलोक में सुनिशिचित किया जाएगा।

5. वित्त विभाग के पत्र संख्या–3ए–वे०पु०–06 / 2013–7448 / वि० दिनांक–05.10.2018 के कंडिका–3 के आलोक में मौलिक नियमावली के नियम 22(1) (क) (i) के प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु संबंधित पदाधिकारी द्वारा यह विकल्प प्रयोग किया जाना है कि वे वित्तीय उन्नयन की तिथि को वेतन निर्धारण करायेंगे अथवा अगले वेतनवृद्धि की तिथि से।

अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अंदर यह विकल्प लिखित रूप से संबंधित पदाधिकारी द्वारा कार्यालय प्रधान/महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को देना है।

6. भविष्य में कर्मियों की अर्हता में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर प्रदत्त रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

(बिहार राज्यपाल के आदेश से)

ह०/–

(डा० अमीर आफाक अहमद फैजी)

अपर सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः–अ०सं०क०–संख्या–02–07/2023...723/ पटना, दिनांक 29.02.2024

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र में प्रकाशनार्थ (सी०डी० सहित) प्रेषित।

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित पदाधिकारी बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई०टी०प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव–सह–निदेशक 29/2